अभियंता प्रमुख (मु०) का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सकारण आदेश

स0आ0सं0–निग/सारा–4 (पथ) सी0बी0आई0–01/06 पटना, दिनांक :–

श्री जयशंकर चौधरी, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, सुपौल सम्प्रतिः सेवानिवृत के विरूद्ध पथ प्रमंडल, सुपौल के पदस्थापन काल में सी0बी0आई0 द्वारा कांड संख्या–आर०सी० 32 (ए)/97 पैट वर्ष 1997 दर्ज करते हुए माननीय उच्च न्यायालय में अभियोग पत्र (Chargesheet) दायर किया गया। उक्त कांड में श्री चौधरी को दिनांक–28.11.2005 से दिनांक–17.01.2006 तक न्यायिक हिरासत में रखा गया। कार्यालय आदेश संख्या–123 दिनांक–02.05.2006 द्वारा श्री चौधरी को हिरासत अवधि के लिए निलंबित किया गया। हिरासत में छूटने के पश्चात इनके द्वारा दिनांक–13.01.2006 को पथ प्रमंडल, बेगूसराय में योगदान दिया गया। तत्पश्चात कार्यालय आदेश संख्या–124 दिनांक–02.05.2006 के द्वारा इनका योगदान स्वीकृत करते हुए अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया।

2. श्री चौधरी के विरूद्ध पथ प्रमंडल, सुपौल के पदस्थापन काल में मुख्य रूप से 321.39 एम. टी. बिटुमेन का गवन करने एवं अनियमित रूप से मेसर्स कास्मों ट्रान्सपोर्टर, कोलकाता को पावती उपलब्ध कराने तथा इसे छुपाने के उद्देशय से बिटुमिन लेखा में गलत प्रविष्टि दर्ज कर सरकार को आर्थिक क्षति पहुँचाए जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत इनके विरूद्ध कार्यालय आदेश संख्या–282 सहपठित ज्ञापांक–12977 दिनांक–20.11.2006 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में सी0बी0आई0 कोर्ट के निर्णय के उपरांत अग्रतर कार्रवाई किये जाने का मंतव्य दिया गया। विभागीय समीक्षोपरांत उक्त मंतव्य से असहमत होते हुए उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित बिन्दुओं के लिए श्री चौधरी से विभागीय पत्रांक–3215 दिनांक–07.03.2007 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। श्री चौधरी के पत्रांक–शून्य दिनांक–21.03.2007 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर समर्पित किया गया।

4. सी0बी0आई0 द्वारा श्री चौधरी के विरूद्ध गठित आरोप के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण विभागीय समीक्षोपरांत कार्यालय आदेश संख्या–321 सहपठित ज्ञापांक–3851 दिनांक–09.10.2009 द्वारा निम्न निर्णय लिया गया :–

(क) श्री जयशंकर चौधरी, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, सुपौल को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

(ख) श्री जयशंकर चौधरी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को साक्ष्य उपलब्ध होने तक तत्काल स्थगित किया जाता है।

5. कालांतर में तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (तकनीकी कोषांग) द्वारा सी0बी0आई0 कार्यालय जाकर वांछित अभिलेख/कागजात प्राप्त किया गया। तत्पश्चात विभागीय समीक्षोपरांत श्री चौधरी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में उल्लेखित तथ्यों को संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में सम्यक् विचारोपरांत उक्त अलकतरा प्रकरण में सरकार को आर्थिक क्षति पहुँचाये जाने की पुष्टि तथा श्री चौधरी

का आचरण संदिग्ध तथा सम्पूर्ण प्रकरण में इनकी भूमिका आपराधिक कृत्य के समान पाते हुए कार्यालय आदेश संख्या–136 सहपठित ज्ञापांक–5484 (ई०) दिनांक–16.08.2016 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गया :–

(क) **29.90 MT बिटुमिन की आकलित कीमत रू0 1,25,580/– (एक लाख पच्चीस हजार पाँच सौ अस्सी) की वसूली श्री चौधरी से की जाय।**

(ख) **इन्हें कनीय अभियंता के कालमान वेतनमान के निम्नतर प्रक्रम पर पदावनत किया जाता है।**

6. उक्त संसूचित दंडादेश के विरूद्ध श्री चौधरी द्वारा अपने पत्रांक–शून्य दिनांक–27.09.2016 के माध्यम से अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसपर अग्रतर कार्रवाई किये जाने के क्रम में तत्कालीन सचिव, पथ निर्माण विभाग द्वारा दिनांक–11.11.2016 को श्री चौधरी की व्यक्तिगत सुनवाई की गई। तत्पश्चात् श्री चौधरी के अपील अभ्यावेदन की समीक्षोपरांत विभागीय मुखर आदेश संख्या–728 (एस) दिनांक–31.01.2017 द्वारा निम्न निर्णय संसूचित किया गया :–

(i) संचालित विभागीय कार्यवाही के तहत अपनाई गयी त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया के विरूद्ध श्री चौधरी के अपील अभ्यावेदन को इस हद तक स्वीकार करते हुए कार्यालय आदेश संख्या–136 सहपठित ज्ञापांक–5484 (ई०) दिनांक–16.08.2016 को निरस्त कर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार को पुनः वापस (Remand) करते हुए निदेशित किया जाता है कि सम्पूर्ण मामले की सम्यक रूप से प्रासंगिक साक्ष्यों के आलोक में ''गुण–दोष'' की समीक्षा के आधार पर ''सकारण आदेश पारित करना सुनिश्चित करें''।

7. श्री चौधरी सम्प्रति सेवानिवृत (दिनांक–31.08.2019) के द्वारा दिनांक–18.01.2019 एवं दिनांक–01.02.2019 को समर्पित अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों एवं आरक्षी अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष अपराध शाखा, बिहार, पटना के पत्रांक–214 दिनांक–29.01.2020 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन एवं नियुक्ति विभाग, बिहार सरकार के संकल्प पत्रांक–III/1-102/63-ए–10158 दिनांक–23.08.1963 द्वारा संसूचित निर्णय की कंडिका–6 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत सकारण आदेश संख्या–2081 (ई०) दिनांक–03.03.2020 के द्वारा निम्न निर्णय लिया गया :–

(i) सी०बी०आई० कांड संख्या–RC-32(A)/97 पैट में अंतिम रूप से सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में श्री चौधरी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में अनुशासनिक/दंडात्मक कार्रवाई पर निर्णय लिया जायेगा।

(ii) श्री चौधरी के दिनांक–28.11.2005 से दिनांक–17.01.2006 तक न्यायिक हिरासत में बितायी गयी अवधि से उत्पन्न निलंबन अवधि एवं दिनांक–02.05.2006 से दिनांक–09.10.2009 तक के निलंबन अवधि का विनियमन उनके विरूद्ध दर्ज सी०बी०आई० कांड संख्या–RC-32(A)/97 पैट में अंतिम रूप से सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के फलाफल के आधार पर किया जायेगा।

8. उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री चौधरी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.-393/2020 दायर किया गया। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–24.11.2023 को पारित

आदेश में श्री चौधरी को बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली–2019 के तहत् पथ निर्माण विभाग में शिकायत करने का आदेश दिया गया। जिसके आलोक में श्री चौधरी द्वारा विभागीय सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष अपना शिकायत दर्ज कराई गयी। विभागीय सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश में श्री चौधरी के विरूद्ध उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही विभागीय कार्यवाही को अविलम्ब अंतिम निर्णय लेते हुए निष्पादित किये जाने का आदेश दिया गया।

9. उक्त के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समरूप मामले में पूर्व में विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श, जिसमें स्पष्ट किया गया कि आपराधिक मुकदमें में अत्यधिक विलंब की स्थिति में विभागीय कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा सकता है का उल्लेख करते हुए विषयांकित मामले में कार्रवाई किये जाने का परामर्श दिया गया। इस मामले में विधि विभाग से भी मंतव्य प्राप्त किया गया। विधि विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श के आलोक में कार्रवाई किये जाने का परामर्श दिया।

10. इसी क्रम में श्री चौधरी के पत्र दिनांक–02.03.2026 द्वारा सी०बी०आई० कांड संख्या–RC-32(A)/97 पैट में सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक–07.02.2026 पारित आदेश की सत्यापित प्रति लगाते हुए अनुरोध किया गया कि उन्हें उक्त काण्ड में दोषमुक्त कर दिया गया है, अतः उनके न्यायिक हिरासत अवधि से उत्पन्न निलंबन अवधि एवं दिनांक–02.05.2026 से दिनांक–09.10.2009 तक के निलंबन अवधि को कर्त्तव्य अवधि मानते हुए विनियमित किया जाय।

11. उक्त के आलोक में विभागीय समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री चौधरी के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्रवाई एवं अपराधिक मामला दोनों ही एक तथ्य एवं साक्ष्य पर आधारित है, ऐसे में श्री चौधरी को अपराधिक मामले में दोष मुक्त कर दिये जाने के पश्चात उनके विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

12. अतएव उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत निम्न निर्णय लिया जाता है :–

(i) श्री जयशंकर चौधरी, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, सुपौल सम्प्रतिः सेवानिवृत (दिनांक–31.08.2019) के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्रवाई को समाप्त किया जाता है।

(ii) श्री चौधरी के निलंबन अवधि दिनांक–02.05.2006 से दिनांक–09.10.2009 तक को पूर्ण वेतन भत्ता सहित सभी प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है। उक्त निलंबन अवधि के दौरान श्री चौधरी को पूर्व में देय जीवन–निर्वाह भत्ता को समायोजित करते हुए तदनुसार वेतनादि का भुगतान किया जायेगा।

(iii) श्री चौधरी को चूंकि सी०बी०आई० कांड संख्या–RC-32(A)/97 पैट में दोष मुक्त कर दिया गया है। अतः उनके दिनांक–28.11.2005 से दिनांक–17.01.2006 तक न्यायिक हिरासत में बितायी गयी अवधि से उत्पन्न निलंबन अवधि को पूर्ण वेतन भत्ता सहित सभी प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य

अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है। उक्त निलंबन अवधि के दौरान श्री चौधरी को पूर्व में देय जीवन–निर्वाह भत्ता को समायोजित करते हुए तदनुसार वेतनदि का भुगतान किया जायेगा।

(iv) सी०बी०आई० कांड संख्या–RC-32(A)/97 पैट में सक्षम न्यायालय के द्वारा दिनांक–07.02.2026 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध अगर भविष्य में कोई अपील दायर की जाती है तो उपयुक्त कंडिका–17 (i), (ii) एवं (iii) में प्रस्तावित निर्णय अपील में पारित न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

ह०/–

अभियंता प्रमुख (मु०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–निग/सारा–4 (पथ) सी0बी0आई0–01/06 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मु०), पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग सहित), पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, सहरसा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सुपौल/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बेगूसराय/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ/उप सचिव (प्र0को0)/उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (मु०/लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2/3/6/13/14 एवं 30 (लेखा शाखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/**श्री जयशंकर चौधरी, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, सुपौल सम्प्रति सेवानिवृत स्थायी पता – ग्राम+पोस्ट–गौरा, थाना–तेघरा, भाया–बरौनी डयोढ़ी, जिला–बेगुसराय** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

निबंधित

ह०/–

अभियंता प्रमुख (मु०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– निग/सारा–4 (पथ) सी0बी0आई0–01/06 2369(E) पटना, दिनांक :– 09/04/26

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

09/04/26

अभियंता प्रमुख (मु०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।